



## Form No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश मुकाम सूरतगढ़।

दिनेश कुमार जोईया बनाम बुधराम वगैरा।

GCMs:-2024/600

संख्या 297 सन् 2024

किस्म मुकदमा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए04/11  
2024

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 156/2020 बअनवान अमीलाल बनाम बीरबल में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.02.2024 की पालना में तहसीलदार भू अभिलेख सूरतगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./1533 दिनांक 23.04.2024 से विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार करवाकर भिजवाया गया इस विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव के समर्थन में बहस करते हुये निवेदन किया कि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में पटवारी हल्का व तहसीलदार सूरतगढ़ ने मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर खाता विभाजन हेतु अलग - अलग रंग भरते हुये विभाजन प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार निर्णय करते हुये अन्तिम डिक्री जारी की जावे। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वादी का उसके हिस्सानुसार ही रकबा खाता विभाजन में दिया गया है जिसमें किसी भी पक्षकार का कोई विरोध नहीं है इसलिये तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता विभाजन किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वादीगण तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक/भू.अ./1533 दिनांक 23.04.2024 के अनुसार चक 6 एपी की जमाबन्दी सँम्बत् 2072 ता 75 के खाता न. 29/27 में दर्ज 4.188 हैक्. कमाण्ड रकबा में वादी दिनेश कुमार के 1.993 हैक्. रकबा का प्रतिवादीगण से निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

दिनेश कुमार जोईया पुत्र अमीलाल जोईया जाति नायक साकिन 2/120 नया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सूरतगढ़ को खाता विभाजन में मिलने वाला रकबा :- चक 6 एपी के पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 1-10-11-16-20/1.265, 21/0.113 हैक्. (उत्तरी पासा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) 22-25/0.506 हैक्. कुल 1.884 हैक्. कमाण्ड व पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 22/1 में से 0.054 हैक्. (दक्षिणी पासा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में, सड़क से चिपता), 23/1 में से 0.055 हैक्. (दक्षिणी पासा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) कुल 0.109 हैक्. कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.993 हैक्. कमाण्ड खातेदारी।

शेष प्रतिवादी न. 1 ता 5 को मिलने वाला रकबा :- प्रतिवादी न. 1 बुधराम पुत्र भैराराम के नाम 0.524 हैक्. कमाण्ड व प्रतिवादी न. 2 नाथी पत्नी कालूराम के नाम 0.523 हैक्. व प्रतिवादी न. 3 कलावती पत्नी बृजलाल के नाम 0.392 हैक्. व प्रतिवादी न. 4 रामकुमारी पुत्री बृजलाल के नाम 0.393 हैक्. व रामकुमारी पत्नी सतपाल के नाम 0.185 हैक्. तथा प्रतिवादी न. 5 रामचन्द्र पुत्र सुखराम के नाम 0.178 हैक्. खातेदारी को खाता विभाजन में प्राप्त होने वाला रकबा :- चक 6 एपी के पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 21/0.140 हैक्. (दक्षिणी पासा) 23-24/0.506 हैक्. कुल 0.646 हैक्. कमाण्ड व पत्थर न. 235/17 (55) के किला न. 5-6-15/0.759 हैक्. कमाण्ड व पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 19/0.253, 21/1 में 0.190 हैक्. (उत्तरी पासा), 22/1 में 0.174 हैक्. (उत्तरी पासा), 23/1 में 0.173 हैक्. (उत्तरी पासा) कुल 0.790 हैक्. इस प्रकार कुल 2.195 हैक्. कमाण्ड खातेदारी।

उपरोक्तानुसार रकबा खाता विभाजन में दिया जाकर वादी का प्रतिवादीगण से खाता विभाजन कर अलग से रकम कायमी के आदेश दिये जाते हैं व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़ (विभाजन)

सूरतगढ़।



(ओ0 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

--: अन्तिम डिक्री :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
(बइजलास :- सन्दीप कुमार, आर. ए. एस.)

--: अनवान :-

दिनेश कुमार जोईया पुत्र श्री अमीलाल जाति नायक साकिन मकान न. 2/120 नया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

- वादी

- बनाम
- बुधराम पुत्र श्री भैराराम जाति नायक फौत जरिये वारिस :-  
1/1 रतीराम  
1/2 विधा  
1/3 कमला  
1/4 केसर देवी  
पिसरान बुधराम अकवाम नायक साकिनान बीरमाना हाल  
चक 65 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
  - नाथी पत्नी कालूराम जाति नायक साकिन चक 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
  - कलावती पत्नी बृजलाल जाति नायक साकिन चक 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
  - रामकुमारी पुत्री बृजलाल जाति नायक साकिन चक 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
  - रामचन्द्र पुत्र सुखराम जाति नायक (सही जाति मेघवाल) साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
  - राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए 1955 मुकदमा न. 297 वर्ष 2024 वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 श्री अजय कुमार अरोड़ा व वकील प्रतिवादी न. 4 श्री रामकुमार वर्मा व पैरोकारराज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

अतः वाद वादीगण तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक/भू.अ./1533 दिनांक 23.04.2024 के अनुसार चक 6 एपी की जमाबन्दी संम्बत् 2072 ता 75 के खाता न. 29/27 में दर्ज 4.188 हैक्. कमाण्ड रकबा में वादी दिनेश कुमार के 1.993 हैक्. रकबा का प्रतिवादीगण से निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

दिनेश कुमार जोईया पुत्र अमीलाल जोईया जाति नायक साकिन 2/120 नया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सूरतगढ़ को खाता विभाजन में मिलने वाला रकबा :- चक 6 एपी के पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 1-10-11-16-20/1.265, 21/0.113 हैक्. (उतरी पासा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) 22-25/0.506 हैक्. कुल 1.884 हैक्. कमाण्ड व पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 22/1 में से 0.054 हैक्. (दक्षिणी पासा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में, सड़क से चिपता), 23/1. में से 0.055 हैक्. (दक्षिणी पासा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) कुल 0.109 हैक्. कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.993 हैक्. कमाण्ड खातेदारी।

शेष प्रतिवादी न. 1 ता 5 को मिलने वाला रकबा :- प्रतिवादी न. 1 बुधराम पुत्र भैराराम के नाम 0.524 हैक्. कमाण्ड व प्रतिवादी न. 2 नाथी पत्नी कालूराम के नाम 0.523 हैक्. व प्रतिवादी न. 3 कलावती पत्नी बृजलाल के नाम 0.392 हैक्. व प्रतिवादी न. 4 रामकुमारी पुत्री बृजलाल के नाम 0.393 हैक्. व रामकुमारी पत्नी सतपाल के नाम 0.185 हैक्. तथा प्रतिवादी न. 5 रामचन्द्र पुत्र सुखराम के नाम 0.178 हैक्. खातेदारी को खाता विभाजन में प्राप्त होने वाला रकबा :- चक 6 एपी के पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 21/0.140 हैक्. (दक्षिणी पासा) 23-24/0.506 हैक्. कुल 0.646 हैक्. कमाण्ड व पत्थर न. 235/17 (55) के किला न. 5-6-15/0.759 हैक्. कमाण्ड व पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 19/0.253, 21/1 में 0.190 हैक्. (उतरी पासा), 22/1 में 0.174 हैक्. (उतरी पासा), 23/1 में 0.173 हैक्. (उतरी पासा) कुल 0.790 हैक्. इस प्रकार कुल 2.195 हैक्. कमाण्ड खातेदारी।

उपरोक्तानुसार रकबा खाता विभाजन में दिया जाकर वादी का प्रतिवादीगण से खाता विभाजन कर अलग से रकम कायमी के आदेश दिये जाते हैं व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं।

नोज .....X..... मुबलिंग ..... X ..... बाबत ..... X ..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह ..... X ..... फस्टो की पालना ..... X ..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिबा मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक...04/11/24 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)